

न्यायमूर्ति एम. एम. कुमार के समक्ष।

पूर्व. JC सं. 226719 एन एनबी उप जगदीश सिंह, — याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य, — उत्तरदाता

C.W.P. सं. 3845 सन् 1996

15 नवंबर, 2006

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 226 — याचिकाकर्ता प्रतिवादी सं. 6 से पहले भुगतान किए गए प्रतिनियुक्ति नायक, मूल नायक और हवलदार के पद पर पदोन्नत किया गया — सूबेदार के रूप में पदोन्नति के लिए दावा — उत्तरदाता ने याचिकाकर्ता से एक महीने पहले नामांकित किया— सक्षम प्राधिकारी प्रतिवादी की पदोन्नति की तिथि को समय से पूर्व करके वह याचिकाकर्ता से नाइब सूबेदार की रैंक में ज्येष्ठ बना --- प्रतिवादी को पूर्वव्यापी पदोन्नति देने से पहले याचिकाकर्ता को कारण हेतुक दर्शित सूचना जारी नहीं की गई— प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन — याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी पर 10 साल की ज्येष्ठता का आनंद लिया — ज्येष्ठता के मुद्दे को पुनः खोलने में अनुचित विलंब और लैचेस — दोनों याचिकाकर्ता और प्रतिवादी सेवानिवृत्त —प्रतिवादी को पूर्वव्यापी पदोन्नति देने के आदेश को खारिज करने से उसके प्रति पूर्वाग्रह का अत्यधिक परिणाम होगा क्योंकि उसे प्रत्यावर्तित करना पड़ेगा जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद अनुचित होगा— याचिकाकर्ता का सुबेदार के पद पर पदोन्नति के विचार का अधिकार इनकार नहीं किया जा सकता है — याचिकाकर्ता अनुज्ञात की गई उत्तरदाताओं को निर्देश देते हुए कि याचिकाकर्ता को सुबेदार के पद पर पदोन्नति के मामले पर विचार करके अलौकिक पद का सभी आनुषंगिक लाभों के साथ निर्माण किया जाए।

अभिनिर्णित, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी सं. 6 से पहले भुगतान किए गए प्रतिनियुक्ति नायक और मूल नायक के पद पर पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता को 9 दिसंबर, 1983 को कार्यवाहक नायक के रूप में पदोन्नत किया गया था परंतु प्रतिवादी सं. 6 केवल 1 जुलाई, 1984 को पदोन्नति प्राप्त कर सकता है। वह 1 नवंबर, 1985 और 1 अप्रैल, 1986 क्रमशः मूल नायक के रूप में आगे पदोन्नत किया गया। यह पद, हवलदार पदोन्नति के संबंध में के समान है। याचिकाकर्ता को पदोन्नत किया गया है वर्ष 1988 में जबकि प्रतिवादी सं. 6 को 1989 में पदोन्नत किया गया था। यह भी विवादित नहीं है कि प्रतिवादी को पूर्वव्यापी पदोन्नति देने से पहले याचिकाकर्ता को कारण हेतुक दर्शित सूचना जारी नहीं किया गया था। आधिकारिक उत्तरदाताओं का यह कहना है कि सेना के नियमों सूचना जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है बिल्कुल आरक्षणिय है क्योंकि

यह अच्छी तरह से स्थापित है कि प्राकृतिक सिद्धांत निहित है जब तक कि ऐसे सिद्धांतों को व्यक्त प्रावधान द्वारा अपवर्जित किया गया हो या ऐसा आवश्यक मंतव्य से प्रतीत होता हो।

(पैरा 8)

इसके अतिरिक्त अभिनिर्णित, याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी सं. 6 भी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसलिए, आदेश दिनांक 8 मई, 1993/22 अप्रैल, 1993 को खारिज करने से प्रतिवादी संख्या 6 के प्रति पूर्वाग्रह का अत्यधिक परिणाम होगा क्योंकि उसे प्रत्यावर्तित करना पड़ेगा जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद अनुचित होगा। याचिकाकर्ता का सूबेदार के पद पर पदोन्नति के विचार का अधिकार इनकार नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, राहत को ढालते हुए मैं अभिनिर्णित करता हूँ कि याचिकाकर्ता को सूबेदार के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करने का अधिकार था जिस तिथि से उत्तरदाता सं. 6 की पदोन्नति हुई थी।

(पैरा 13)

भीम सेन सहगल, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

एस.के. शर्मा, यूओआई के लिए स्थायी वकील।

निर्णय

न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार।

(1) याचिकाकर्ता द्वारा त्वरित याचिका में की गई प्रार्थना संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर उत्तरदाताओं को निर्देश जारी करने के लिए है कि वह उसकी सूबेदार के पद पर पदोन्नति के मामले पर 1 मार्च, 1994 की तिथि से विचार किया जाए, जब उस से कनिष्ठ पद पर विचार में लिए गए थे और पदोन्नत किए गए थे। यह प्रार्थना भी की गई है कि याचिकाकर्ता को सूबेदार के पद के लिए 28 साल की सेवा के कार्यकाल / अवधि का लाभ दिया जाना चाहिए और उन्हें 1 अक्टूबर, 1997 को सभी आनुषंगिक लाभ के साथ सेवानिवृत्त माना जाना चाहिए। याचिकाकर्ता यह भी दावा करता है कि उत्तरदाताओं द्वारा उत्तरदाता को ज्येष्ठ मानकर उसकी पदोन्नति की तिथि को समय से पूर्व करने का कार्य को अवैध है, असद्भावपूर्वक और नियमों के विपरीत मानकर खारिज किया जाए।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य जो इस विवाद के निपटान के लिए आवश्यक हैं यह हैं कि प्रस्तुत याचिका में याचिकाकर्ता ने 16 सितंबर, 1969 को सेना में दाखिला लिया। उन्हें 1 अप्रैल, 1981 को लांस नायक के पद पर पदोन्नत किया गया था। उन्होंने प्रतिनियुक्ति नायक के रूप में 9 दिसंबर, 1983 पदोन्नति हासिल की और इसके अतिरिक्त 1 नवंबर, 1985 को मूल नायक के रूप में भी पदोन्नत किया गया था। अपने सेवा रिकॉर्ड के आधार पर उसने 20 मई, 1988 को प्रतिनियुक्ति हवलदार और 1 जून, 1988 को मूल हवलदार के पद पर पदोन्नत हासिल की। याचिकाकर्ता 13 अप्रैल, 1992 को, 1 जनवरी, 1992 से प्रभावी, नाइब सूबेदार के पद पर पदोन्नत किया गया। उपर्युक्त दिखाते हुए प्रतिवादी सं. 6 के साथ जुड़ी तुलनात्मक तालिका स्थिति का डेटा निम्नानुसार है: —

रैंक	ज्येष्ठताता की तिथि याचिकाकर्ता की	ज्येष्ठता की तिथि तारीखें	संशोधित प्रतिवादी सं. 6	P.1
नामांकन की तारीख	16-9-1969	6-8-1969	-	
एल / एनके	1-4-81	-	-	
नायक	प्रतिनियुक्ति नायक (मूल)	9-12-1983 1-11-1985 (मूल)	1-7-1984 1-4-1986	9-12-1983 1-11-1985
हे.	प्रतिनियुक्ति हे. (मूल)	20-5-1988 1-6-1988 (मूल)	20-5-1988 1-5-1989	20-5-1988 1-6-1988
नायब सूबेदार		13-4-1992	4-8-1993	
	w.e.f.	1-1-1992	w.e.f. 1-1-1992	
सूबेदार	पदोन्नत नहीं		20-9-1994	
		w.e.f.	1-3-1994	

(3) याचिकाकर्ता द्वारा शिकायत है कि याचिकाकर्ता को उतरदाता सं. 6 से पहले प्रतिनियुक्ति नायक और मूल नायक एवं प्रतिनियुक्ति हवलदार और मूल हवलदार के रूप में पदोन्नति के तथ्य के बावजूत प्रतिवादी सं. 6 को आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 1993/8 मई, 1993 (उपाबंद P.1) के अनुसार ज्येष्ठता घोषित किया गया। उपरोक्त टेबल से सपस्थ है कि नायक और मूल नायक के रूप में प्रतिवादी सं. 6 की पदोन्नति की तारीख याचिकाकर्ता के साथ सममूल्य पर लाया गया। पदोन्नति की तारीख को पूर्व निर्धारित करने के आधार पर, प्रतिवादी सं. 6

को नाइब सुबेदर की अगली रैंक पर 1 जनवरी, 1992 से प्रभावी पदोन्नत किया गया था। इस संबंध में पाइपिंग समारोह 4 अगस्त, 1993 को आयोजित किया गया था। याचिका में किए दावों के अनुसार सभी परिवर्तन याचिकाकर्ता के पीछे से उसे बिना कारण निर्देश सूचना जारी किए बिना करे गए थे। जब 1 मार्च, 1994 को रेजिमेंट में सुबेदर के पद पर रिक्ति हुई तो वह याचिकाकर्ता को पेश किए जाने की आवश्यकता थी क्योंकि यह दावा किया जाता है कि उसने अपने एसीआर, जो "सभी उच्च औसत रिपोर्ट" थे, के संबंध में पदोन्नति की कसौटी को पूरा किया। हालांकि, यह उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका क्योंकि प्रतिवादी सं. 6 को पूर्व दिनांक के पदोन्नति का अनुदान करके याचिकाकर्ता के साथ लाया गया जिसके परिणामस्वरूप सुबेदर के पद पर आगे बढ़ने के लिए उनका अधिक्रमण हुआ। दुखी होकर, उन्होंने सेना के आदेश 133/77 के पैरा 1 (बी) और रक्षा सेवा विनियम के पैरा 364, सेना के लिए विनियम, खंड 1 (संशोधित संस्करण) 1987 (संक्षिप्तता के लिए 'विनियम') के साथ सेना अधिनियम की धारा 26 और 27 (उपाबंद P.2) के अनुसार एक गैर वैधानिक शिकायत दर्ज की। गैर वैधानिक शिकायत के साथ प्रासंगिक दस्तावेजों जो पूरी तरह से उनके दावे का समर्थन करते हैं याचिकाकर्ता द्वारा 5 सितंबर, 1994 को मुख्यालय 9 आर्टी ब्रिगेड को दर्ज की गई थी। मामला इस सलाह के साथ वापस कर दिया गया था कि इकाई से स्थानांतरण (उपाबंद P.3) के लिए एक सरल आवेदन डाला जाए। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी सं. 6 ने ACR मानदंड पूर्ण नहीं करा है और सुबेदार के पद पर पाइपिंग कार्यक्रम की तारीख यानी 4 अगस्त, 1993 से नैब के रैंक पर एक वर्ष पूरा नहीं किया और 20 सितंबर, 1994 को सुबेदर के पद पर याचिकाकर्ता के दावे की पूरी तरह से अनदेखी करके अवैध रूप से पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता ने 25 सितंबर, 1995 को सभी दस्तावेजों को संलग्न करके वैधानिक शिकायत दर्ज करके यह दावा करा कि उसे सूचना जारी किया जाना आवश्यक था जब प्रतिवादी सं. 6 की पदोन्नति की तारीखें पूर्व दिनांकित की गई थीं (उपाबंद P.4)। याचिकाकर्ता 30 सितंबर, 1995 को 26 साल की सेवा पूरी होने पर सेवा से सेवानिवृत्त हुए हालांकि वह पदोन्नति पर सेना के नियमों के प्रति-विनियमन 163 के अनुसार 28 साल की सेवा पूरी होने पर सेवानिवृत्त होते। यह दावा किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 6 याचिकाकर्ता से नायक और हवलदार के रूप में और यहां तक कि नायब सुबेदर के रूप में 10 साल तक कनिष्ठ रहा। याचिकाकर्ता के समर्थन से सुबेदर के पद पर पदोन्नति से उन्होंने बेहतर पद के बैच को पहनने का आनंद खो दिया और उनका कार्यकाल दो साल छोटा रहा क्योंकि वह 26 साल की सेवा प्रदान करने के बाद सेवानिवृत्त हुए जबकि सुबेदर के रूप में उन्होंने नियमन के विनियम 163 के अनुसार 28 साल की सेवा प्रदान करना था। अंततः याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता द्वारा 18, नवंबर 1995 को कानूनी सूचना दी और एक अनुस्मारक भी भेजा (उपाबंद P.5 और P.6 क्रमशः)।

याचिकाकर्ता का दावा है कि आदेश दिनांक 8 मई, 1993 (उपाबंद P.1) जो प्रतिवादी सं. 6 को पूर्वव्यापी पदोन्नति प्रदान करता है को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि वह याचिकाकर्ता के पीछे उसे कारण हेतुक दर्शित सूचना जारी किए बिना या सुने जाने का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। तदनुसार, यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी सं. 6 का ज्येष्ठ घोषित किया जाएगा और इस प्रकार उन्हें सूबेदार के पद पर सभी आनुषंगिक लाभों के साथ पदोन्नति के दावे के लिए माना जाएगा।

(4) लिखित बयान में उत्तरदाताओं का दावा है कि प्रतिवादी सं. 6 को याचिकाकर्ता से पहले एक महीने में रेजिमेंट ऑफ आर्टी में नामांकित किया गया था और इसलिए वह ज्येष्ठता रैंक पाने का हकदार था। यह आगे बताया गया है कि प्रतिवादी सं. 6 याचिकाकर्ता से ज्येष्ठ होने के तहत और उसका सेवा रिकॉर्ड हमेशा श्रेष्ठ रहा है के कारण उस से पहले पदोन्नत किए जाने का हक्कदार है। याचिकाकर्ता का दावा कि प्रतिवादी सं. 6 को प्रमोशन बोर्ड द्वारा उपयुक्त और योग्य न पाने के कारण अधिक्रमण किया गया विवादस्पद है। उत्तरदाताओं द्वारा दावा किया गया प्रतिवादी सं. 6 नायक के पद पर पदोन्नति के लिए पूरी तरह से योग्य था प्रासंगिक समय 1983 और 1985 में जब प्रमोशन बोर्ड ने याचिकाकर्ता का मामला विचार में लिया था। प्रमोशन बोर्ड द्वारा की गई गलती के कारण, याचिकाकर्ता ने पदोन्नति, नियुक्ति और वित्तीय लाभ का का आनंद लिया था जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार नहीं था। यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवादी सं. 6 ने अपने अधिक्रमण के विरुद्ध 23 मार्च, 1992 को गैर-वैधानिक शिकायत दी है। तदनुसार, मुख्यालय पत्र सं. ए / 10031/ शिविर / पीसी-113 / आर्टिलरी ३, दिनांक 16 अप्रैल, 1993 के अनुसार उन्हें ज्येष्ठताता प्रदान की गई, उनके कमांडिंग ऑफिसर को निम्नलिखित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था:

"(क) 176 फील्ड रेजिमेंट के सं. 125190 3 एएचवी (ओपीआर) पृथ्वी चंद चौहान का भुगतान वाली प्रतिनियुक्त नायक, मूल नायक और मूल हवलदार के रैंक पर पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता उसकी वास्तविक ज्येष्ठताता याचिका में वर्णित दो अन्य व्यक्तियों की तुलना के अनुसार समायोजित की जानी चाहिए, वेतन और भत्ते पर कोई प्रभाव डाले बिना।

(ख) एनसीओ को नैब सूबेदार के पद पर पदोन्नत रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी की समग्र कमी के खिलाफ पूर्व तिथि ज्येष्ठता के अनुदान द्वारा उनकी पुनः समायोजित ज्येष्ठता के अनुसार किया जाएगा और बाद में वह ओपीआर व्यापार के यूनिट में रिक्ति के खिलाफ अवशोषित किया जाए।"

(5) जारी निर्देशों के आधार पर, सक्षम प्राधिकरण ने प्रतिवादी सं. 6 के पदोन्नति की तिथि को पूर्व तिथि किया जिसके कारण वह नाइब सूबेदार के पद पर याचिकाकर्ता से ज्येष्ठ हो गया है। यह दावा किया जाता है कि याचिकाकर्ता को किसी भी रूप में अधिक्रमण नहीं किया गया है और प्रतिवादी सं. 6 के प्रति केवल न्याय की स्थापना हुई थी। यह भी दावा किया गया है कि प्रतिवादी सं. 6 में किसी भी तरह की कमी नहीं थी और उन तारीखों पर, जो विवादित आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 1993 द्वारा संशोधन से लागू की गई है, पदोन्नत होने के योग्य हैं। उत्तरदाताओं ने यह दावा दिया है कि पदोन्नति बैठक को 18 जुलाई, 1994 को आयोजित किया गया था और प्रतिवादी सं. 6 ने नाइब सुबेदार के रैंक में अपेक्षित एसीआर, मई, 1994 में शुरू हुई एसीआर के माध्यम से, की कसौटी को पूरा करा। सेना के निर्देशों हेड क्वार्टर आर्टिलरी रिकॉर्ड, पत्र सं. 275 / डी / यूपीबी / 176 / एम / 25/ एडीएम (जेसीओ) दिनांक 12 सितंबर, 1994, के अनुसार के आधार पर प्रतिवादी सं. 6 को सबेडर की मौजूदा रिक्ति के खिलाफ सुबेडर (ऑपरेटर) की सूखी ज्येष्ठता, 1 मार्च, 1994 से प्रभावी, प्रदान की गई। प्रतिवादी सं. 6 की पदोन्नति को पूर्व तिथि करने और ज्येष्ठता को बहाल करने के संबंध में सूचना दर्ज करने के संदर्भ में, उत्तरदाता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को सूचना देने का या उसे सुनने का अवसर प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह दावा किया जाता है कि आदेश दस्तावेजी साक्ष्य और रिकॉर्ड के आधार पर पारित किया गया है।

(6) श्री बी.एस. सहगल, याचिकाकर्ता के लिए विद्वक अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता को 9 दिसंबर, 1983 को भुगतान किए गए प्रतिनियुक्ति नायक के रूप में पदोन्नति पर, प्रतिवादी सं. 6 जिसे 1 जुलाई, 1984 को भुगतान किए गए प्रतिनियुक्ति नायक के रूप में पदोन्नत किया गया था को अधिक्रमण माना जाना चाहिए। विद्वक आदिवक्ता ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने केवल वर्ष 1992 में एक प्रतिनिधित्व दिया, जो की 9 वर्ष से अधिक की अवधि है, इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता को भुगतान किए गए प्रतिनियुक्ति हवलदार और मूल हवलदार के रूप में 1988 में विचार और पदोन्नत किया गया, जबकि प्रतिवादी सं. 6 को 1 मई, 1989 से प्रभावी मूल हवलदार बनाया गया था। उसने कहा कि आदेश दिनांक 8 मई, 1993/22 अप्रैल, 1993 (उपाबंध P.1) को पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को कारण हेतुक दर्शित सूचना जारी करने की आवश्यकता थी और उसे सुने जाने का अवसर देने के बाद ही ऐसा आदेश पारित किया जा सकता था। अपने समर्थन में, विद्वक आदिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायलय के मामला **भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल (1)** के निर्णय के पैरा 95 पर निर्भरता बनायी है। उसने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी सं. 6 के बीच की स्थायी ज्येष्ठता को

9 वर्ष की अवधि के बाद फिर से खोला नहीं जा सकता था जिसके परिणामस्वरूप उसका कार्यकाल दो वर्ष कम हो जायेगा जबकि अगर उसे सूबेदार के रूप में पदोन्नत किया जाता तो उसे सेवाकाल के दो वर्ष और मिलते। उपर्युक्त के समर्थन में, विद्वक अधिवक्ता ने सेना विनियम के विनियमन 163 पर निर्भरता रखी है। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया है कि इस स्तर पर केवल मौद्रिक लाभ के साथ सभी आनुषंगिक राहत याचिकाकर्ता को रिहा किया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी सं. 6 नायब सुबेदार / सुबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।

(7) हालांकि, श्री एस.के. शर्मा, उत्तरदाताओं के विद्वक अधिवक्ता, ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता को कारण हेतुक सूचना जारी करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है और वह करने की न ही कोई आवश्यकता थी। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रतिवादी सं. 6 को पदोन्नति बोर्ड द्वारा की गई गलती के कारण पदोन्नति से नजरअंदाज कर दिया गया जिसे आदेश दिनांक 8 मई 1993/22 अप्रैल, 1993 (उपाबंद P.11) को संसोधित किया गया था, और इस तरह याचिकाकर्ता से साथ हुआ अन्याय पूर्ववत् कर दिया गया है।

(8) दोनों पक्षों के विद्वक अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, मेरा यह विचार है कि याचिका अनुज्ञात की जानी चाहिए। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी सं. 6 से पहले भुगतान किए गए प्रतिनियुक्ति नायक और मूल नायक के पद पर पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता को 9 दिसंबर, 1983 को कार्यवाहक नायक के रूप में पदोन्नत किया गया था परंतु प्रतिवादी सं. 6 केवल 1 जुलाई, 1984 को पदोन्नति प्राप्त कर सकता है। वह 1 नवंबर, 1985 और 1 अप्रैल, 1986 क्रमशः मूल नायक के रूप में आगे पदोन्नत किया गया। यह पद, हवलदार पदोन्नति के संबंध में के समान है। याचिकाकर्ता को पदोन्नत किया गया है वर्ष 1988 में जबकि प्रतिवादी सं. 6 को 1989 में पदोन्नत किया गया था। यह भी विवादित नहीं है कि प्रतिवादी को पूर्वव्यापी पदोन्नति देने से पहले याचिकाकर्ता को कारण हेतुक दर्शित सूचना जारी नहीं किया गया था। आधिकारिक उत्तरदाताओं का यह कहना है कि सेना के नियमों सूचना जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है बिल्कुल आरक्षणीय है क्योंकि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि प्राकृतिक सिद्धांत निहित है जब तक कि ऐसे सिद्धांतों को व्यक्त प्रावधान द्वारा अपवर्जित किया गया हो या ऐसा आवश्यक मंतव्य से प्रतीत होता हो। उपर्युक्त विचार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला **डॉ. जल्दबाज लाल यादव बनाम बिहार राज्य (2)** के निर्णय पर निर्भरता बनायी है। यह अभिनिर्णित है कि प्राकृतिक न्याय को एक अंतर्निहित अनिवार्य आवश्यकता के रूप में संचालित करके अधिनियमित कानून के पूरक का आधार सुरक्षित कर लिया है। मामला **ए.के. क्रेपक बनाम**

यूओआई (3); उड़ीसा राज्य बनाम डॉ. (मिस) बिनापनी देई (4); भारत संघ बनाम जे.एन. सिन्हा (5) और स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम यूओआई (6), के निर्णयों को संदर्भित करने के पश्चात, न्यायमूर्ति ने **डॉ. रैश लाइ यादव के मामले (Supra)** के निर्णय के पैरा 6 और 9 में यह अभिनिर्णित किया कि :

"6अंतः, जहां कोई कानून एक प्रशासनिक प्राधिकारी को व्यापक विवेक के साथ व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, उसके मनमाने उपयोग की संभावना को नियंत्रित या जांचा जा सकता है, उनके प्रयोग पर इस तरह जोर देकर कि जिसे प्रक्रियात्मक रूप से उचित कहा जा सके। अंतः, प्राकृतिक न्याय के नियम निष्पक्षता सुनिश्चित करने और संतोषजनक निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए हैं, जहां कानून मौन है और कोई विपरीत इरादा निहित नहीं किया जा सकता है, वहां निष्पक्षता सुनिश्चित करने और कार्रवाई को मनमानी के आरोप से बचाने के लिए प्राकृतिक न्याय के नियम की प्रयोज्यता की आवश्यकता को इसमें पढ़ा जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय ने एक अंतर्निहित अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कार्य करके अधिनियमित कानून के पूरक के लिए एक आधार सुरक्षित कर लिया है, जिससे इसे मनमानी के दोष से बचाया जा सके। अदालतें इस आवश्यकता को उसकी संपूर्ण चौड़ाई में तब तक निहित मानती हैं जब तक कि अधिनियम वर्तमान मामले की तरह इसके विपरीत संकेत न दे....."

7 और 8

X X X X X X X X

9. उपरोक्त चर्चा से जो उभरता है वह यह है कि जब तक कानून स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से प्राकृतिक न्याय के नियम के आवेदन को बाहर नहीं करता है, अदालतें उक्त आवश्यकता को उन अधिनियमों में पढ़ेंगी जो मौन हैं और प्रशासनिक कार्रवाई के मामलों में भी इसके आवेदन पर जोर देगा....."

(9) उपर्युक्त दृष्टिकोण का मामला **पु मल्लई हाचो बनाम मिज़ोरम राज्य (7)** में पालन और लागू किया गया है। अंतः, प्रतिवादी सं. 6 को पूर्व

(3) (1969) 2 S.C.C. 262

(4) AIR 1967 S.C. 1269

(5) (1970) 2 S.C.C. 458

(6) AIR 1981 S.C. 818

(7) (2005) 2 S.C.C. 92

दिनांकित पदोन्नति देने की कार्रवाई खारिज की जाती है क्योंकि उसने याचिकाकर्ता पर ज्येष्ठता प्राप्त करली है। संपूर्ण कार्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना था। उपर्युक्त कानूनी स्थिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामले **तुलसीराम पटेल** (*Supra*) के निर्णय के पैरा 95 से प्रवाहित होगी और उसी के तहत है:

“इस न्यायालय द्वारा समानता की अवधारणा को दी गई और गतिशील व्याख्या जो उस अनुच्छेद की विषय-वस्तु है के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अनुच्छेद 14 का निहित भाग के रूप में मान्यता दी गई है। संक्षेप में कहें तो, न्यायशास्त्र इस प्रकार चलता है कि प्राकृतिक न्याय के नियम का उल्लंघन होने पर मनमानी होती है जो भेदभाव के समान है; जहां भेदभाव राज्य की कार्रवाई का परिणाम है, यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, अंतः राज्य की कार्यवाही द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। हालांकि, अनुच्छेद 14 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का एकमात्र भंडार नहीं है। इसका काम यह सुनिश्चित करना है कि उनका उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या राज्य की कार्रवाई को रद्द कर दिया जाएगा। अंतः, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को न केवल कानून और राज्य की कार्यवाही पर लागू होते हैं, बल्कि वहाँ भी लागू होते हैं जहाँ अनुच्छेद 12 में "राज्य" की परिभाषा के अंतर्गत न आने वाले किसी न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या निकाय के लोगों पर जिनपर किसी मामले का निर्णय करने का कर्तव्य लगाया जाता है। ऐसे मामले में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता है कि उसे ऐसे मामले का निर्णय न्यायपूर्वक और निष्पक्ष रूप से करना चाहिए।”

(10) इसलिए, 8 मई, 1993/22 अप्रैल 1993 (उपाबंध P.1) को लागू किया गया आदेश जो प्रतिवादी सं. 6 को पूर्व तिथि से पदोन्नति प्रदान करना है को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया है।

(11) यह समान रूप से स्थापित है कि ज्येष्ठता से संबंधित मुद्दे कर्मचारी के कहने पर अनुचित विलंब और लैक्स के बाद फिर से नहीं उठाया जा सकता है। उस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान न्यायपीठ का मामला **रबींद्र नाथ बोस बनाम यूओआई** (8) के निर्णय पर निर्भरता बनाई गई है। उपरोक्त निर्णय के पैरा 34 में यह निर्धारित किया गया है कि अनुचित विलंब के संतोषजनक स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में, याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकता। उपर्युक्त पैरा के तहत है:

"लेकिन मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए, जो बिना किसी उचित स्पष्टीकरण संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। अत्यधिक देरी के बाद संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को याचिकाओं पर विचार करने का मूल क्षेत्राधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 का ऐसा इरादा नहीं हो सकता कि यह न्यायालय कई वर्षों के अंतराल के बाद बासी मांगों पर विचार करेगा। ऐसा कहा जाता है कि अनुच्छेद 32 स्वयं एक प्रत्याभूत अधिकार है। ऐसा तो है, लेकिन इससे यह नहीं पता चलता कि संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि यह न्यायालय सभी सिद्धांतों को खारिज कर दे और अत्यधिक देरी के बाद दायर याचिकाओं में राहत दे।

(12) संविधान के अनुच्छेद 32 के बारे में जो सच है समान रूप से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका पर भी लागू होगा। इसलिए, किसी भी मामले में, उत्तरदाता फिर से याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी सं. 6 पर 1983 से 1993 तक ज्येष्ठता का आनंद लेने के बाद इस मुद्दे को दोबारा नहीं उठाया जा सकता है। उस खाते पर भी, आदेश दिनांक 8 मई 1993/22 अप्रैल, 1993 (उपाबंद P.1) को खारिज किया जाना चाहिए।

(13) अब सवाल यह उठता है कि याचिकाकर्ता को क्या राहत मिल सकती है क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी सं. 6 भी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसलिए, आदेश दिनांक 8 मई, 1993/22 अप्रैल, 1993 (उपाबंद P.1) को खारिज करने से प्रतिवादी संख्या 6 के प्रति पूर्वाग्रह का अत्यधिक परिणाम होगा क्योंकि उसे प्रत्यावर्तित करना पड़ेगा जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद अनुचित होगा। याचिकाकर्ता का सुबेदार के पद पर पदोन्नति के विचार का अधिकार इनकार नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, राहत को ढालते हुए मैं अभिनिर्णित करता हूँ कि याचिकाकर्ता को सुबेदार के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करने का अधिकार था जिस तिथि से उत्तरदाता सं. 6 की पदोन्नति हुई थी। तदनुसार, उत्तरदाताओं के मामला की उसे सुबेदार के पद पर अलौकिक पद की रचना करके, अगर आवश्यक, पर विचार करने के लिए उत्तरदाता को एक दिशा जारी की जाए। यदि वह उस समय के मापदंड जब उत्तरदाता सं. 6 को विचार में लिया जा रहा था और उसकी पदोन्नति की गई थी के अनुसार उपयुक्त पाया जाता है तब उसे सुबेदार के पद पर सभी आनुषंगिक लाभों के साथ, जिसमें विनियमों के विनियमन 163 द्वारा दो वर्षों की विस्तारित सेवा दी जाएगी, पदोन्नति दी जाएगी। यह उल्लेख करना उचित है कि विनियमन 163 यह कहता है कि व्यक्ति जो सुबेडर के रूप में पदोन्नति के

लिए उपयुक्त पाया जाता है, वह 28 वर्ष की सेवा प्रदान करने के बाद सेवानिवृत्त होना है जबकि व्यक्ति जो 26 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद नायब सुबेदार के रूप में पदोन्नति पाने में विफल रहता है। इसलिए, याचिकाकर्ता दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के वेतन का हकदार होगा और सूबेदार के रूप में सेवानिवृत्त माना जाएगा। वह सभी आनुषंगिक लाभों, पेंशन आदि, का भी हकदार होगा जिसकी गणना और भुगतान, पेंशन के समायोजन के बाद उसे, यदि कोई हो, याचिकाकर्ता को तीन महीने की अवधि के भीतर, जिस तिथि से आधिकारिक उत्तरदाताओं को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होगी, भुगतान किया जाएगा।

R.N.R

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

रुहेला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
Trainee Judicial Officer
करनाल, हरियाणा